पंजाब केसरी 15-01-15

दिल्ली विधानसभा के आम चुनाव, 2015

सार्वजनिक सूचना

चुनाव समयावधि के दौरान अनुमोदन जारी करने हेतु एकल खिड़की व्यवस्था

एतद्द्वारा सभी राजनीतिक पार्टियों, उम्मीदवारों एवं अन्य संबंधितों को यह सूचित किया जाता है कि चुनाव के दौरान आम सभाओं/रैलियों/जुलूसों/लाउडस्पीकर और गैर–वाणिज्यिक/सुदूर/अनियंत्रित हवाई अड्डों/हैलीपैड आदि के प्रयोग को सुगम बनाने हेतु दिल्ली के सभी 09 जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ)/जिला अधिकारियों के कार्यालय में **"एकल खिड़की व्यवस्था"** स्थापित की गई है।

"एकल खिड़की व्यवस्था" की कार्यप्रणाली निम्नानुसार होगी:–

1. **(क)** राजनीतिक पार्टी/उम्मीदवार को कार्यक्रम के न्यूनतम 48 घंटे पूर्व संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला अधिकारी के कार्यालय में एकल खिड़की पर भारत निर्वाचन आयोग के व्यय अनुवीक्षण पर अनुदेशों का संकलन (जनवरी–2015) के अनुलग्नक–16 में दिए गए निर्धारित प्रारुप मे सहायक पुलिस आयुक्त (अनुमति)/अनुमति प्रकोष्ठ प्रभारी के पास आवेदन करना होगा।

   (ख) कोई भी राजनीतिक पार्टी/उम्मीदवार आवेदन करने (आवेदन करने की तिथि को छोड़कर) के 07 दिनों के भीतर आयोजित की जाने वाली रैलियों/कार्यक्रमों/जुलूसों आदि के संबंध में अनुमोदन के लिए आवेदन कर सकता है।

   (ग) किसी एक दिन में होने वाले अलग–अलग कार्यक्रमों के लिए अलग–अलग आवेदन करने हैं।

   (घ) यदि कार्यक्रम/रैली/जुलूस एक से अधिक विधानसभा क्षेत्रों के जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला अधिकारी के क्षेत्राधिकार के भीतर आयोजित किए जाते हैं तो ऐसे आयोजनों हेतु अलग–अलग आवेदन संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला अधिकारी के कार्यालय में एसीपी (अनुमति)/अनुमति प्रकोष्ठ प्रभारी को करने होंगे।

2. अनुमोदन प्रकोष्ठ प्रभारी आवेदन प्राप्त होने से 36 घंटों के भीतर अन्य विभागों जैसे अग्नि, स्थानीय प्राधिकरणों, भू–स्वामित्व एजेंसियों, डिस्कॉम (विद्युत), दिल्ली ट्रैफिक पुलिस आदि से आवश्यक अनुमति, यदि कोई हुई, को लेने के पश्चात राजनीतिक पार्टियों/उम्मीदवारों को अनुमोदन/निर्णय जारी करेगा।
3. आवेदकों को "पहले आओ पहले पाओ" आधार पर केवल एकल खिड़की व्यवस्था के माध्यम से अनुमोदन/निर्णय जारी किए जाएंगे।
4. राजनीतिक पार्टी/उम्मीदवारों द्वारा गैर–वाणिज्यिक/सुदूर/अनियंत्रित हवाई अड्डों/हैलीपैड के उपयोग के लिए यात्रा योजना, जिले में लैंडिंग का स्थान एवं हवाई जहाज/हैलीकॉप्टर में यात्रियों के नामों के विवरणों को दर्शाते हुए लैंडिंग से न्यूनतम 24 घंटे पूर्व संबंधित जिला अधिकारी को आवेदन करना होगा।

विधानसभा क्षेत्र में चुनाव अभियान के लिए वाहनों के प्रयोग की स्वीकृति विधान सभा क्षेत्र के संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर (RO) से लेनी होगी।

उपर्युक्त उल्लेखित प्रणाली/कार्यवाही चुनावी प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से चुनाव की समाप्ति तक प्रभावी रहेगी।

जिले की एकल खिड़की व्यवस्था का विवरण निम्नानुसार है:–

जिले का नाम	एकल खिड़की का पता	एसीपी (अनुमोदन)/ अनुमोदन प्रकोष्ठ प्रभारी का नाम	मोबाइल नं.
उत्तर–पश्चिम	कार्यालय डीईओ (उत्तर–पश्चिम), कमरा नं. 25 कंझावला दिल्ली–110081	श्री अजनी कुमार वशिष्ठ, एसीपी	9810909448
उत्तर–पूर्व	कार्यालय डीईओ (उत्तर–पूर्व), एफ–ब्लॉक, नन्द नगरी, दिल्ली	श्री जसवंत सिंह, इंस्पैक्टर	8750870792
दक्षिण	कार्यालय डीईओ (दक्षिण), एमबी रोड, साकेत, नई दिल्ली	श्री दिवान चंद शर्मा, एसीपी	9810538714
मध्य	ऑडिटोरियम, हैप्पी स्कूल, डीसी कार्यालय के सामने, 14 दरियागंज, नई दिल्ली	श्री जे.के. शर्मा, एसीपी	9810882869
दक्षिण–पश्चिम	कार्यालय डीईओ (दक्षिण–पश्चिम), ओल्ड टर्मिनल टैक्स बिल्डिंग, कापसहेड़ा, दिल्ली	श्री सतीश कुमार, इंस्पैक्टर	9810690523
उत्तर	1, कृपा नारायण मार्ग, दिल्ली	श्री राम निवास, इंस्पैक्टर	9891556246
पूर्व	कार्यालय डीएम (पूर्वी), एलएम बंध, शास्त्री नगर, दिल्ली	श्री राजबीर शर्मा, एसीपी	8750870685
नई दिल्ली	12/3, जाम नगर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली–110011	श्री रवि कांत, इंस्पैक्टर	9818927818
पश्चिम	कमरा नं. 3, सर्वोदय कन्या विद्यालय, रामपुरा, दिल्ली	श्री उधम सिंह, इंस्पैक्टर	9971303654

हेल्पलाइन नं. (निःशुल्क)	कॉल सैन्टर नं.	www.ceodelhi.gov.in	फेसबुक - Chief Electoral Officer Delhi
1800-111-400	1950		

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, दिल्ली

ओल्ड सेन्ट स्टीफेन कॉलेज बिल्डिंग, कश्मीरी गेट, दिल्ली–110006

DIP/1953/14-15